उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 02 आश्विन, शक संवत्, 1932

(दिनांक : 23 सितम्बर, 2010)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख" तथा "ग"**)।

3. निधन के निदेश।

4. मुख्यमंत्री, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक) को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. औद्योगिक विकास मंत्री भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 30 (3) के अन्तर्गत ''उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरता परिषद नियमावली 2010'' को सदन के पटल पर रखेंगे।

6. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. मुख्यमंत्री सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (ए0टी0आर0) सहित सदन के पटल पर रखेंगे।

8. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

9. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009-10) का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

10. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009-10) का नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

11. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009-10) का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

12. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

13. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

14. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

(शोधन वक्तव्य के लिये देखिये नत्थी **"घ"**)

15. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी **"ङ"**)

16. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

17. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय **(आधा घण्टा)।**

18. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

19. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय **(आधा घण्टा)।**

20. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 पारित किया जाय

21. वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 10000 हजार (एक करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 343365 हजार (चौंतीस करोड़ तैंतीस लाख पैसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत **रू0 10000 हजार (एक करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 870046 हजार (सत्तासी करोड़ छियालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत **रू0 664070 हजार (छियासठ करोड़ चालीस लाख सत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत **रू0 2430 हजार (चौबीस लाख तीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 831527 हजार (तिरासी करोड़ पन्द्रह लाख सत्ताईस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 4861171 हजार (चार सौ छियासी करोड़ ग्यारह लाख इक्हत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 467872 हजार (छियालीस करोड़ अठहत्तर लाख बहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 996699 हजार (निन्यानवे करोड़ छियासठ लाख निन्यानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 202783 हजार (बीस करोड़ सत्ताईस लाख तिरासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 1007592 हजार (एक सौ करोड़ पचहत्तर लाख बयानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 270775 हजार (सत्ताईस करोड़ सात लाख पचहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 722980 हजार (बहत्तर करोड़ उन्नतीस लाख अस्सी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 12237 हजार (एक करोड़ बाईस लाख सैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 369271 हजार (छत्तीस करोड़ बयानवे लाख इक्हत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 145655 हजार (चौदह करोड़ छप्पन लाख पचपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत **रू0 112895 हजार (ग्यारह करोड़ अठ्ठाईस लाख पंचानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निमार्ण कार्य के अन्तर्गत **रू0 3276860 हजार (तीन सौ सत्ताईस करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) उद्योग मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत **रू0 200710 हजार (बीस करोड़ सात लाख दस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 428740 हजार (बयालीस करोड़ सत्तासी लाख चालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत **रू0 35900 हजार (तीन करोड़ उनसठ लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 262000 हजार (छब्बीस करोड़ बीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(24) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत **रू0 299492 हजार (उन्नतीस करोड़ चौरानवे लाख बयानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रू0 173715 हजार (सत्रह करोड़ सैंतीस लाख पन्द्रह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 61852 हजार (छः करोड़ अठ्ठारह लाख बावन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(27) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 908387 हजार (नब्बे करोड़ तिरासी लाख सत्तासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

(28) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 311891 हजार (इक्तीस करोड़ अठ्ठारह लाख इक्यानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए स्वीकार की जाय।

22. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2010-2011 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

23. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2010-2011 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करेंगे।

24. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2010-2011 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

25. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2010-2011 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

26. गन्ने की फसल पर तौल के दौरान 1½ % (डेढ़ प्रतिशत) काटी जा रही कटौती विषयक दिनांक 10 मार्च, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-13 के संबंध में कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन', सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

27. वित्तीय वर्ष 2007-08 व 2008-09 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत प्रदेश को स्वीकृत धनराशि में से खर्च की गयी धनराशि विषयक दिनांक 09 मार्च, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-01 के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

24. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 23 सितम्बर, 2010

(महेश चन्द्र)
प्रमुख सचिव।

द्वितीय सत्र, 2010
का प्रथम गुरूवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

गुरूवार, 02 आश्विन, शक संवत्, 1932

(दिनांक : 23 सितम्बर, 2010)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री जोत सिंह गुनसोला 07.09.2010	** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में ओक, फर्र, स्प्रुस आदि प्रजाति के वृक्षों के पुनरोत्पादन की कोई योजना स्वीकृत की गयी है? यदि हां, तो कितना वन क्षेत्र इस परिधि में सम्मिलित किया गया है? क्या सरकार चीड़ के जंगलों को धीरे–धीरे कम करके चौड़ी पत्ती के जंगलों के विस्तार पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन

नत्थी "ख"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत द्वितीय सत्र, 2010 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री जोत सिंह गुनसोला 22.02.2010	*1 क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कुल कृषि भूमि का कितना भाग पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर स्वरूप ले रहा है तथा मैदानी क्षेत्रों में कृषि भूमि का कितना भाग अन्य प्रयोजनों हेतु दिया जा रहा है? क्या सरकार कोई ठोस कार्यवाही करते हुए कृषि कार्यों हेतु भूमि को बचाने का कार्य करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

नत्थी "ग"

तारांकित प्रश्न

श्री किशोर उपाध्याय 27.04.2010	*1. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की कृषि नीति का निर्धारण कर दिया गया है? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**
श्री राजेश जुवांठा 06.05.2010	*2. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पंचायत भवन के निर्माण के मानक पूरे प्रदेश में एक समान हैं? क्या यह सत्य है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय व मैदानी भागों में बंटी होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायत भवनों के निर्माण को सरकार के मानकों के अनुरूप करवाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायत भवन निर्माण की लागत व मानक तय करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पंचायती राज**
श्री राजेश जुवांठा 11.05.2010	*3. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में निर्मित टिकोची से दुचाणू रोपवे 2 सितम्बर 2009 को चालू किया गया? क्या यह सत्य है कि तीन दिन पश्चात् दिनांक 05.09.2009 को रोपवे की तार टूट गयी थी? यदि हां, तो उक्त रोपवे के तार टूटने के क्या कारण है? क्या सरकार रोपवे के पुर्ननिर्माण के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? क्या सरकार कार्यदायी संस्था के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर भी विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्थगित**
श्री जोत सिंह गुनसोला 13.05.2010	*4. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में फसल की विभिन्न जीव–जन्तुओं से सुरक्षा का कोई उपाय किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि वन्य जीव जन्तु कृषि को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिस कारण कृषक द्वारा कम खेती करने के साथ ही अनाज की उत्पादकता भी घट रही हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या योजना बनायी जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**तृतीय सोम0 के तारांकित 20 में स्था0**
श्री जोत सिंह गुनसोला 19.05.2010	*5. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की कृषि में अब तक प्रयोग की जा रही भूमि का कुल कितना रकबा है, कितनी भूमि ऊसर है तथा कितनी भूमि बंजर हो गयी है? क्या सरकार कृषि योग्य भूमि का रकबा बढाये जाने हेतु बंजर व ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**

श्री जोत सिंह गुनसोला 19.05.2010	***6.** क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा के अन्तर्गत वाह्य ऊर्जा, जैव पिण्ड, सोलर ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि पर आधारित ऊर्जा के दोहन के लिए उरेडा ने कितनी योजनायें बनायी और कितनी ऊर्जा का वर्षवार उत्पादन किया? क्या सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन से ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**वैकल्पिक ऊर्जा**
श्री प्रीतम सिंह 28.05.2010	***7.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार राज्य को जैविक प्रदेश के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**
श्री प्रीतम सिंह 31.05.2010	***8.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कृषक मेलों के आयोजन का क्या औचित्य है? इन मेलों के आयोजनों से अब तक की भौतिक उपलब्धि क्या रही हैं?	**कृषि**
श्री किशोर उपाध्याय 15.06.2010	***9.** क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख संगठन अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 14.06.2010 से विधान सभा के सम्मुख धरने पर बैठे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	**पंचायती राज**
श्री प्रीतम सिंह 14.07.2010	***10.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गलनशीन कृषि उत्पादनों पर मण्डी शुल्क समाप्त करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तक क्यों?	**कृषि**
श्री शेर सिंह गढ़िया 03.08..2010	***11.** क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत इलैक्ट्रीकल व मैकेनीकल घराटों की संख्या कितनी है तथा उक्त घराटों का निर्माण कब तथा कितनी लागत से कहॉ किया गया है? क्या इलैक्ट्रीकल घराटों के द्वारा बिजली पैदा की जा रही है? यदि हां, तो कुल कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?	**वैकल्पिक ऊर्जा**
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 11.05.2010	***12.** क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में आत्महत्या के लिए सर्वाधिक सल्फास नाम के कीटनाशक का दुरूपयोग किया जा रहा हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सल्फास जैसे खतरनाक कीटनाशक से बढ़ रही आत्महत्या दर को रोकने के लिए सल्फास पर प्रदेश व्यापी प्रतिबन्ध लगाऐगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**

अतारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 03.05.2010	1.	क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि मण्डी समिति की आय का हिस्सा जो कृषकों के हितो हेतु व्यय किया जाता है को अल्मोड़ा जिले के भिक्यासैण विधान सभा क्षेत्र में भी खर्च किया गया हैं? यदि हां, तो 2007 से विगत तीन वित्तीय वर्षों में से वर्तमान तक उक्त धन को किन–किन मदों में कितना–कितना खर्च किया गया? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में भिक्यासैण विधान सभा हेतु कोई योजना कृषकों के हितो के लिए बनाई गई? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 03.05.2010	2.	क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 2008–09 व 2009–2010 से वर्तमान तक अल्मोड़ा जनपद के किसानों को जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठायें गये है और उसके लिये किस–किस योजना में कितना–कितना काम किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्पादित जैविक वस्तुओं के विपणन की उचित व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 03.05.2010	3.	क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2008–09 में विधान सभा वार कितनी सोलर स्ट्रीट लाईट किस–2 आधार पर वितरित की गई थी? क्या सरकार विधान सभा वार विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	वैकल्पिक ऊर्जा
श्री जोत सिंह गुनसोला 06.05.2010	4.	क्या कारागार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत स्थित पुरानी जेल में स्थापित भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 पं0 जवाहर लाल नेहरू जी के स्मृति चिन्हों को नवनिर्मित सुद्धोवाला जेल में स्थापित कर दिया गया हैं? यदि नहीं, तो उक्त कारागार स्मारक की स्थिति क्या है?	कारागार
श्रीमती अमृता रावत 10.05.2010	5.	क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पंचायतों के नियमित एवं व्यवस्थित कार्य संचालन हेतु ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की तैनाती करने का क्या प्राविधान हैं? क्या एक अधिकारी द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्य संचालन किया जाता हैं? क्या यह भी सत्य है कि राज्य में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, एक से अधिक विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो इन्हें एक ही विभाग के नियंत्रण में लाने की दिशा में सरकार की क्या योजना हैं?	पंचायती राज
श्री जोत सिंह गुनसोला 13.05.2010	6.	क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पटवाडांगर में जैव प्रोद्योगिकी संस्थान की स्थापना के पश्चात् कृषकों को उक्त संस्थान के द्वारा किन–किन क्षेत्रों में प्रोद्योगिकी का लाभ प्रदान किया गया तथा इससे कृषकों का जैविक खेती पर कुछ रूझान बढ़ा है? क्या सरकार जैविक खेती के लिए नये–नये प्रयोग व शोध करवा कर कृषकों को समय पर इसका लाभ देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

श्री जोत सिंह गुनसोला 13.05.2010 | 7. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्र की स्थापना किस स्तर पर की गई है? क्या किसानों को वाजिब सूचनायें तथा वैज्ञानिक सलाह उक्त केन्द्रों से उपलब्ध करवाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? | कृषि

श्री जोत सिंह गुनसोला 13.05.2010 | 8. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय कृषकों को अतिरिक्त लाभ मिल सके, इस हेतु क्या सरकार पर्वतीय फसलों के लिए पैकेज आफ प्रेक्टिसेज पर शोध कार्यक्रम राज्य सेक्टर के माध्यम से करने जा रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? | कृषि

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 14.05.2010 | 9. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के भिक्यासैण विधान सभा क्षेत्र में विपणन हेतु मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है? क्या भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र में मानिला नामक स्थान पर विभागीय अधिकारियों द्वारा मण्डी निर्माण हेतु कोई सर्वे कराया गया हैं?यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर मण्डी का निर्माण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? | कृषि

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 19.05.2010 | 10. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैण में पशुचिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव लम्बित है? यदि हां, तो किस–किस स्थान पर और कब तक पशु चिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? | पशुपालन

श्रीमती अमृता रावत 20.05.2010 | 11. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के 13 जनपदों में पशु चिकित्सालयों, फर्मासिस्टों तथा पशुधन प्रसार अधिकारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपद वार विवरण क्या है? तथा उक्त रिक्तियों को भरने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है तथा कब तक रिक्त पदों पर तैनाती कर दी जायेगी? | पशुपालन

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 20.05.2010 | 12. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण में पशुचिकित्सक विहीन चिकित्सालय कौन–कौन से है? क्या मंत्री जी उक्त पशु चिकित्सक विहीन स्थानों पर चिकित्सकों की तैनाती करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? | पशुपालन

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' 21.05.2010 | 13. क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2006 में महिला डेरी विकास परियोजना के कार्मिकों के द्वारा लगभग दो माह तक नियमितीकरण हेतु आन्दोलन किया गया था? क्या यह सत्य है कि कार्मिकों को शासन स्तर पर हुए समझौते में निर्णय लिया गया था कि परियोजना के कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु परियोजना के वर्तमान स्वरूप में ही नियमित किये जाने हेतु परियोजना के ढ़ांचे का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए? यदि हां, तो शासन को उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ? शासन उक्त ढ़ांचे को कब तक स्वीकृति प्रदान कर परियोजना कार्मिकों को कब तक नियमित करने की कार्यवाही करेगा? | दुग्ध विकास

श्रीमती अमृता रावत 07.06.2010	**14.**	क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पशुधन के विकास की क्या–क्या योजनाएं है तथा उनके क्रियान्वयन हेतु अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या हैं?	**पशुपालन**
श्री जोत सिंह गुनसोला एवं 08.06.2010	**15.**	क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शहतूत की खेती रेशम विकास हेतु कुल कितने क्षेत्रफल भूमि उपलब्ध है? प्रतिवर्ष रेशम विभाग द्वारा कुल कितना रेशम उत्पादित होता है और उसके विपणन की क्या व्यवस्था है? विगत पांच वर्ष में रेशम सहकारी बुनकरों को वर्षवार कितना रेशम उपलब्ध कराया गया उनके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? वर्षवार सहकारी बुनकरों को क्या लाभ प्राप्त हुआ है?	**उद्यान**
श्री जोत सिंह गुनसोला 08.06.2010	**16.**	क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जड़ी–बूटी शोध संस्थान की स्थापना कब की गयी? उक्त संस्थान द्वारा अब तक कितने शोध कार्य किये गये व कितने पादपों का कृषिकरण किया गया तथा कितने कृषकों को इस कार्य में प्रेरित करके उनका आर्थिक उन्नयन किया गया? उक्त संस्थान में कितने वैज्ञानिक कार्यरत हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह संस्थान सरकारी भवन में संचालित किया जा रहा है तथा संस्थान का स्वीकृत विभागीय ढ़ॉचा क्या है? क्या सभी पदों पर नियुक्तियां कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?	**उद्यान**
श्री जोत सिंह गुनसोला 08.06.2010	**17.**	क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राज्य स्तरीय मत्स्य स्वास्थ्य अन्वेषण एवं जलीय गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना कर दी गयी है? क्या मत्स्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा जलीय गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूना लेकर अन्वेषण किया है? क्या उक्त नमूने उपयुक्त पाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	**मत्स्य पालन**
श्री जोत सिंह गुनसोला 08.06.2010	**18.**	क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मत्स्य आखेट विकास की योजना के अन्तर्गत नियमावली बना दी गयी है? प्रदेश की किन–किन नदियों, तालाबों, झीलों सहायक नदियों पर आखेट की अनुमति प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	**मत्स्य पालन**
श्रीमती अमृता रावत 10.06.2010	**19.**	क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के पशुचिकित्सकों तथा पशुधन प्रसार अधिकारियों के आवासीय भवनों का जनपदवार विवरण क्या है? क्या यह सत्य है कि पशु चिकित्सकों तथा पशुधन प्रसार अधिकारियों को आवास आवंटित न किए जाने के कारण ये आवासीय भवन धीरे–धीरे क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन रिक्त आवासीय भवनों को कब से आवंटित नहीं किया जा रहा है तथा इन भवनों के रख–रखाव की क्या व्यवस्था हैं?	**पशुपालन**

श्री जोत सिंह गुनसोला 10.06.2010	**20.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं में ग्रामीण सफाई कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान सरकार के कार्यकाल से वर्ष 2009–10 के अन्त तक प्रत्येक जिलेवार ग्रामीण सफाई कार्यक्रम की किन–किन योजनाओं का लाभ मिला है? यदि नहीं, तो क्यों?	**पंचायती राज**
श्री जोत सिंह गुनसोला 15.06.2010	**21.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थियों का वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2009–10 तक खाद्यान्नों की फसलें, वाणिज्यिक फसलें, वनस्पति संरक्षण, विस्तार व किसानों का प्रशिक्षण आदि योजनाओं का लाभ कुल कितने परिवारों को मिला हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**
श्री जोत सिंह गुनसोला 17.06.2010	**22.** क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी में स्थित पशुचिकित्सालय के जीर्ण–शीर्ण भवन के पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पशुपालन**
श्री जोत सिंह गुनसोला 17.06.2010	**23.** क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार मत्स्य एंग्लिंग स्पोर्टस को बढ़ावा देने जा रही हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पशुपालन**
श्री जोत सिंह गुनसोला 17.06.2010	**24.** क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मधुमक्खी पालन योजना के अन्तर्गत जनपदवार राज्य गठन से अब तक कितना शहद उत्पादित किया गया तथा उक्त कार्य में कितने लोगों को रोजगार मिला है और प्रदेश को क्या आय प्राप्त हुई हैं?	**उद्यान**
श्री जोत सिंह गुनसोला 18.06.2010	**25.** क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थियों के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2009–10 तक के अन्त तक डेरी विकास की किन–किन परियोजनाओं के अन्तर्गत जिलेवार व वर्षवार कितने लाभार्थियों को परियोजना के अन्तर्गत चयनित किया गया तथा इसके सापेक्ष कितनों को इसका लाभ मिला हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	**पशुपालन**
श्री प्रीतम सिंह 14.07.2010	**26.** क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार उद्यानीकरण योजना प्रारम्भ करने पर विचार कर रही हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**उद्यान**
श्री प्रीतम सिंह 14.07.2010	**27.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आई0के0वी0वाई0) के अन्तर्गत कितना और कब से धन प्राप्त हो रहा हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**

श्री महेन्द्र सिंह माहरा 14.07.2010	**28.** क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत में मंडी परिषद द्वारा बनाई गई सड़कों में मरम्मत व डामरीकरण का कार्य धन के अभाव में अभी तक नही करवाया गया? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में पुर्ननिर्माण हेतु उक्त सभी सड़कों को मंडी परिषद से लोक निर्माण विभाग को विधिवत हस्तान्तरण कर देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**
श्री नारायण पाल 19.07.2010	**29.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008–2009 व 2009–2010 में जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा विभिन्न मदों से निर्माण कार्य प्रस्तावों के सापेक्ष कुल कितनी धनराशि अवमुक्त/स्वीकृत की गई हैं तथा कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या हैं?	**पंचायती राज**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 07.06.2010	**30.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी दिशा निर्देशों के बावजूद जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैण ब्लाक समिति की बैठक में दिनांक 28.05.2010 को कितने अधिकारी अनुपस्थित थे? क्या सरकार अनुपस्थित अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पंचायती राज**
श्रीमती अमृता रावत 04.08.2010	**31.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसी कौन–कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें अभी तक पंचायत भवन अथवा ग्राम पंचायत कार्यालय भवन नही हैं? उक्त पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के रूप में ग्राम पंचायत का कार्यालय स्थापित/निर्मित करवाने की दिशा में सरकार की क्या कार्य योजना है तथा वर्ष 2010–2011 में किन–किन ग्राम पंचायतों के कार्यालयों का निर्माण भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के रूप में किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?	**पंचायती राज**
श्रीमती अमृता रावत 04.08.2010	**32.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण क्या है तथा रिक्तियां कब से चली आ रही है तथा रिक्तियों को कब तक भर दिया जायेगा? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों में से कितने अधिकारी पंचायत विभाग तथा कितने अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग के नियंत्रणाधीन है और इन दोनों विभागों के अधिकारियों को एक ही विभाग के नियंत्रणाधीन लाने की दिशा में किए गए प्रयासों का विवरण क्या है तथा कब तक उक्त अधिकारियों को एक ही विभाग के नियंत्रणाधीन में लाया जायेगा?	**पंचायती राज**
श्रीमती अमृता रावत 12.08.2010	**33.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पंचायती राज विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण क्या है तथा उक्त रिक्त पदों को भरने के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति/तैनाती की जायेगी?	**पंचायती राज**

नत्थी "घ"

श्रीमती अमृता रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 162 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 14 अगस्त, 2009 के संबंध में "शोधन वक्तव्य"।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 के प्रथम बुधवार दिनांक 15 जुलाई, 2009 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 41

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
विधान सभा के तृतीय सत्र 2008 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सख्या 13 के उत्तर के क्रम में क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोटद्वार-सतपुली- बाडियूं-बहेड़ाखाल-डांडा नागराजा मार्ग पर कोटद्वार से बस सेवा संचालन की समय-सारणी निर्धारित है।	जी हां	जी नहीं
तथा बहेड़ाखाल पहुंचने तथा डांडानागराजा से वापस लौटने का निर्धारित समय क्या है?	कोटद्वार से प्रातः 4:00 बजे प्रस्थान करते हुए बहेड़ाखाल प्रातः 10:15 बजे पहुंचती है। बहेड़ाखाल से प्रातः 10:30 बजे डांडानागराजा के लिए प्रस्थान करती है जो डांडानागराजा प्रातः 11:00 बजे पहुंचती है। दूसरे दिन डांडानागराजा से प्रातः 7:30 बजे प्रस्थान करती है जो कोटद्वार 14:00 बजे पहुंचती है।	प्रश्न नहीं उठता
क्या उक्त मार्ग पर नियमित बस सेवाओं का संचालन निमयमित रूप से किया जा रहा है।	जी हां	जी नहीं उक्त मार्ग पर कोटद्वार -सतपुली कांसखेत- अदवानी - डांडानागराजा बस सेवा संचालित है तथा लौटते समय अगले दिन डांडानागराजा से बहेड़ाखाल- बाड़ियूं- सतपुली-कोटद्वार बस सेवा संचालित है।
यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इसके प्रति उत्तरदायी कौन है।	प्रश्न नहीं उठता	कोटद्वार से सतपुली बाड़ियूं - बहेड़ाखाल- डांडानागराजा मार्ग पर जाते समय लोड फैक्टर न मिलने के कारण सेवाएं लाभकारी नहीं है।

उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या-41 का पूर्व में गलत उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी श्री सुधांशु गर्ग, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी को प्रतिकूल प्रविष्टी संसूचित की जा चुकी है।

बंशीधर भगत
परिवहन मंत्री।

''नत्थी–ङ''

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 सितम्बर, 2010 की बैठक में दिनांक 23 सितम्बर, 2010 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की हैः–

सितम्बर, 2010
23 (गुरूवार)

1. विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**
2. पण्डित दीन दयाल उपाध्याय, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**

2. अनुदानवार अनुपूरक मॉगों पर चर्चा, मतदान एवं पारण।